वाद पत्र स.309 / 2015
रामजीलाल बनाम पूर्ण आदि
निर्णय दिनांक 21/10/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 309 / 2015

रामजीलाल पुत्र श्री नाथराम जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (फौत)

1/1. उमराव देवी पत्नि रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
1/2. राजेन्द्र पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
1/3. औमप्रकाश पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
1/4. इन्द्र पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
1/5. सुशील पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
1/6. सन्तोष पुत्र श्री रामजीलाल रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
1/7. बिमला पुत्री श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
1/8. माया पुत्री श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
1/9. सविता पुत्री श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
1/10. सुभाष पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

– ब ना म –

1. पूर्ण } पुत्रान रामेश्वर
2. दीनदयाल }
3. सत्यनारायण } पुत्रान रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी लक्ष्मण
4. रामस्वरूप }
5. सुरेश कुमार (फौत) }

5/1. सुनिता पत्नि सुरेश कुमार
5/2. अंजू पुत्री श्री सुरेश कुमार पत्नी मनोज निवासी धमोरा तह. गुढा जिला झुन्झुनू
5/3. अनिता पुत्री सुरेश कुमार प[illegible] जिला झुन्झुनू
5/4. तनुजा पुत्री श्री सुरेश कुमार नाबालिक जरि[illegible] संरक्षिका माता सुनिता पत्नि सुरेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी ढाणी ल[illegible](राज.)
6. मोहनलाल पुत्रान श्रीराम जाति [illegible] निवासी ढाणी [illegible]ण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
7. भगवानी पत्नी श्री जुगाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वाद पत्र स.309/2015
रामजीलाल बनाम पूर्ण आदि
निर्णय दिनांक 21/10/22

8. नौरंग
9. बाबुलाल
10. श्यासुन्दर
11. सन्तकुमार
12. सीताराम
13. कृष्ण
(8–13) — पुत्रान जुगाराम जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लक्ष्मण

14. मोहनी
15. सावित्री
16. शारदा
17. इन्द्र
(14–17) — पुत्रीया जुगाराम जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

18. राजपाल पुत्र श्री प्रभुदयाल
19. दयाराम पुत्र श्री प्रभुराम जाति अहीर निवासी मदनसर तहसील बुहाना
20. सुमन देवी पत्नी श्री अनील कुमार जाति अहीर निवासी मदनसर तहसील बुहाना
21. प्रभुराम पुत्र श्री मुरली
22. फुलाराम
23. सावतराम
(22–23) — पुत्रान मुरली जाति अहीर निवासी मदनसर तहसील बुहाना
24. शेखावाटी ग्रामीण बैक (बड़ोदा क्षेत्रिय राज. ग्रामीण बैक) शाखा बुहाना जरिए शाखा प्रबंधक
25. शेखावाटी ग्रामीण बैक (बड़ोदा क्षेत्रिय राज. ग्रामीण बैक) शाखा बड़बर जरिए शाखा प्रबंधक
26. तहसीलदार भू– अभिलेख एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना
27. दलीप पुत्र श्री फूलचन्द जाति अहीर निवासी मदनसर तह. बुहाना
28. सुन्दर पुत्र श्री फूलचन्द जाति अहीर निवासी मदनसर तह. बुहाना

दावा – घोषणात्मक , रिकार्ड दुरूस्ति ,एवं खाता विभाजन

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. श्री मुकेश चौधरी एड. प्रति. सं. 1 व 2 की ओर से ।
3. शेष प्रतिवादीगण के विरूद एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–: निर्णय :–

दिनांक – 21/10/22

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद पत्र – घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती इन संक्षिप्तत: अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि :–

1. यह कि वाके ग्राम बड़बर स्थित भूमि गत ख.न. 19 रकबा 22बीघा 10 बिस्वा गत ख.न. 26 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा किता 2 रकबा 50 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार रामेश्वर प्रतिवादी स. 1 व 2 का हकपूर्वाधिकारी 1/3 हिस्सा [illegible] 17 का हकपूर्वाधिकारी जुगाराम 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का [illegible]कारी श्रीराम 1/3 हिस्सा के खातेदार थें चुकि उक्त रामेश्वर , जुगारा[illegible] के भाई हैं लेकिन इस भूमि की खातेदारी उन तीनो के नाम [illegible] हैं। हिस्[illegible] का था।
2. यह कि वाके ग्राम बड़बर [illegible] ख.न. 715 रकबा 3.30 हैं. ख.न. 716 रकबा 0.80 हैं. ख.न. 717 रकबा 3.11 है. [illegible]4 रकबा 10.31 हैं. के खातेदार प्रतिवादी स.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

1 व 2 का हकपूर्वाधिकारी रामेश्वर हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का हकपूर्वाधिकारी श्रीराम हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी स. 18 हिस्सा 1/16 प्रतिवादी स. 19 हिस्सा 7/24 व प्रतिवादी स. 20 के विक्रेता सविता का हकपूर्वाधिकारी बाबूलाल हिस्सा 1/12 जो उसने प्रतिवादी स. 20 को बेचान कर दिया हैं तथा प्रतिवादी स. 27 व 28 का हिस्सा 1/16 दर हिस्सा 6.88 हैं. के खातेदार हैं तथा प्रतिवादी स. 21 हिस्सा 1/2 प्रतिवादी स. 22 व 23 हिस्सा 1/2 दरहिस्सा 3.43 हैं. के खातेदार हैं प्रतिवादी दयाराम व सावंतराम ने प्रतिवादी स. 24 व 25 से ऋण ले रखा हैं इस प्रकार इस खण्ड में वर्णित भूमि में प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1.72 हैं. रकबा हैं तथा प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का 1.72 हैं. रकबा हैं।

3. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 1 में वर्णित भूमि गत ख.न. 19 व 26 के बन्दोबस्त के ख.न.114, 120, 121, 122, 123 निर्मित किये गये तथा गत ख.न. 26 के बन्दोबस्त ने नये ख.न. 156, 157, 158, 159, 160, व $\frac{1529}{\frac{202}{7}}$ निर्मित किये है। इस भूमि में जुगाराम का जिसको जुगलाल भी बोलते थें का 1/3 हिस्सा था जिसने अपने 1/3 हिस्से में से 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 4.5.1977 को जरिए पंजिकृत विक्रय पत्र के वादी को बेचान कर दी तभी से वादी अपनी इस क्रयशुद्धा रकबा पर शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा के सभी की जानकारी में काबिज हैं।

4. यह कि बन्दोबस्त के ख.न. ख.न.114, 120, 121, 122, 123, 156, 157, 158, 159, 160, व $\frac{1529}{\frac{202}{7}}$ का जब अलग राजस्व गॉव भवानीपुरा बना तो विभागीय परिर्वतन कर ख.न. 160 के नये ख.न. 28, ख.न. 159 के नये ख.न. 29 ख.न. 158 के नये ख.न. 30 ख.न. 157 के नये ख.न.31 ख.न. 156 के नये ख.न.32 निर्मित किये गये तथा $\frac{1529}{\frac{202}{7}}$ के नये ख.न. 33 निर्मित किये गये तथा यह भूमि ग्राम बड़बर की राजस्व सीमा में बदस्तूर रखी गई तथा बन्दोबस्त के ख.न. 114, 120, 121, 122, व 123 जो बाद में 123/1 कायम किये गये हैं यह भूमि नये राजस्व ग्राम भवानीपुरा में स्थपित की गई हैं।

5. यह कि वादी ने प्रतिवादी स.7 लगायत 17 के हकपूर्वाधिकारी जुगाराम उर्फ जुगलाल से उसके हिस्से की भूमि मे से 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 4.5.1977 को पंजिकृत विक्रय पत्र से खरीद की थी जिसका नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवाया तो उसकी अपील प्रतिवादी सत्यनारायण ने की तथा दोनो पक्ष उक्त इन्तकाल की अपील को लेकर लड़ते रहे एवम् कभी यह भूमि वादी के नाम दर्ज रही तो कभी उसके नाम से निरस्त हो गई तथा बाद में पक्षकारो में सहमति से गॉव में बैठकर लिखा पढ़ी हुई तथा भूमिका जो दावा था बजरिए राजीनामा दोनो पक्षो ने खारीज करवा लिया ।

6. यह कि वादी की वाद वर्णित भूमि में 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीदशुद्धा थी जिसके इन्तकाल दर्ज हुए तथा बाद में निरस्त हुये तो बाद में वापिस राजस्व रिकार्ड दर्ज हुआ तो भूमि ख.न. 28, 29,30 स्थित ग्राम भवानीपुरा जिसमें प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 1/3 हिस्सा था उनका नाम हटाया जाकर प्रतिवादी स. 1 व 2 एवं 3 लगायत 6 का बराबर – बराबर 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया तथा ख.न. 114, 120, 121, 122, किता 4 रकबा 3.68 हैं. जिसमें भी प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 1/3 हिस्सा था उनका [illegible] जाकर प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1/2 तथा प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का 1/2 हि[illegible] दर्ज [illegible]र दिया गया।

7. यह कि प्रतिवादी स. 1 व 2 का ग्राम भवानीपुरा [illegible] भूमि ख.न.114, 120, 121, 122 किता 4 रकबा 3.68 हैं. तथा ख.न. [illegible] रकबा 2.6[illegible] स्थित ग्राम भवानीपुरा में 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा [illegible] प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 1/3 हिस्सा था तथा ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न. 28, 29, [illegible] किता 3 रकबा 3.25 हैं. में प्रतिवादी स. 1 व 2

(सुनिलकुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:39 IST
Reason: SelfAttested

का 1/3 प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का 1/3 है एव प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 1/3 हिस्सा था तथा ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न. 30, 31, 32 कता 3 रकबा 3.90 हैं. में प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1/3 प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 1/3 हिस्सा था तथा ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न. 714,715, 716, 717 किता 4 रकबा 10.31 है. के 6.88 हैं. रकबा में से प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1/4 तथा प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का 1/4 हिस्सा हैं मौके पर सभी पक्षकारो का वाद वर्णित भूमि का परस्पर सुविधा से मौखिक बंटवारा कर रखा हैं एवं अपने हिस्से पर काबिज हैं।

8. यह कि वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी स. 1 व 2 का ख.न. 714, 715, 716, 717 किता 4 रकबा 10. 31 में 1/4 हिस्से के अनुसारप्रतिवादी स. 1 व 2 का 1.72 हैं. रकबा हैं तथा ग्राम भवानीपुरा स्थित भूमि ख.न. 123/1 में1/3 हिस्सा के अनुसार 0.67 हैं. तथा ख.न. 114, 120, 121, 122 किता 4 रकबा 3.68 हैं. में 1/3 हिस्सा के अनुसार1.22 हैं. रकबा हैं तथा ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न.28, 29, 30, किता 3 रकबा 3.25 हैं. प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1.08 हैं. रकबा हैं तथा ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न. 30, 31, 32 किता 3 रकबा 3.90 है. प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1/3 हिस्सा के अनुसार 1.30 हैं.रकबा हैं इस प्रकार प्रतिवादी स. 1 व 2 का 5.99 हैं. रकबा हैं. ।

9. यह कि वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का ख.न. 714, 715, 716, 717 किता 4 रकबा 10.31 में 1/4 हिस्सा के अनुसार प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का 1.72 हैं. रकबा हैं तथा ग्राम भवानीपुरा स्थित भूमि ख.न. 123/1 में 0.67 हैं. तथा ख.न. 114, 120, 121, 122 किता 4 रकबा 3.68 हैं. में 1/3 हिस्सा के अनुसार 1.23 हैं. रकबा हैं तथा ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न.28, 29, 30, किता 3 रकबा 3.25 हैं. में 1/3 हिस्सा के अनुसार प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का 1.08 हैं. रकबा हैं तथा ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न. 30, 31, 32 किता 3 रकबा 3.90 है. प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा के अनुसार 1.30 हैं. रकबा हैं इस प्रकार प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का 6.00 हैं. रकबा हैं।

10. यह कि वाके ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न. 28, 29,33 किता 3 रकबा 3.25 हैं.में 1/3 हिस्सा के अनुसार 1.09 हैं. तथा ख.न. 30,31,32 किता 3 रकबा 3.90 हैं. में 1/3 हिस्सा के अनुसार 1.30 हैक्टर तथा ग्राम भवानीपुरा स्थित भूमि ख.न. 114, 120, 121, 122 किता 4 रकबा 3.68 है. में 1/3 हिस्सा के अनुसार 1.23 तथा ग्राम भवानीपुरा स्थित भूमि ख.न. 123/1 रकबा 2.02 हैं. भूमि में प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 1/3 हिस्से के अनुसार 0.67 हैं. कुल रकबा 4.30 हैं. रकबा था जिसमें से 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 4.5.1977 को उक्त प्रतिवादी स. 1 लगायत 17 के हकपूर्वाधिकारी ने पंजिकृत विक्रय विलेख द्वारा यह भूमि वादी को बेचान कर दी अब इस भूमि में 3.67 हैं. रकबा वादी का हैं तथा शेष 0.63 हैं. रकबा प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का हैं वादी इस 3.67 हैं. रकबा के खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी हैं।

11. यह कि वाद वर्णित सम्पूर्ण भूमि मे प्रतिवादी स.1 व 2 का 5.99 हैं. प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का 6.00 हैं. तथा वादी का 3.67 हैं. व प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 0.63 हैं. रकबा हैं इसी अनुसार वे अपने हिस्से का विभाजन करवाने के अधिकारी है मौके पर प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न. 714, 715, 716, 717 के 6.88 हैं.रकबा के 1/2 हिस्सा पर अर्थात् 3.44 हैं. रकबा पर कब्जा हैं तथा [illegible] पर हैं इस प्रकार प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का उसके हिस्से व कब्जे अनुसार [illegible] विभाजन में दिये जाने योग्य हैं।

12. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादी [illegible] खरीद की गई है जिसका मिट्रिक प्रणाली में 3.67 है. रकबा बनता है जिसकी खाते [illegible] वादी के नाम नही होने व प्रतिवादी स. 1 लगायत 17 के नाम दर्ज होने से [illegible] क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकन नही किया जा सकता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
जिला [illegible] (राज.)

13. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1/3 प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा होने व प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 1/3 हिस्सा होने के बाद उसके द्वारा 14 बीघा 10 बिस्वा रकबा वादी को बेचान करने व उसकी खातेदारी वादी के नाम दर्ज नही होने से पैदा हुआ हैं अतः दावा अन्दर मियाद हैं।

14. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम बड़बर व भवानीपुरा में स्थित होने से यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

15. यह कि वाद वर्णित भूमि गत ख.न.19 व 26 प्रतिवादी स. 1 लगायत 17 की खातेदारी में दर्ज होने व हाल ख.न. 714, 715, 716, 717 में प्रतिवादी स. 18 लगायत 23 सयुक्त खातेदार दर्ज होने तथा प्रतिवादी स. 24 व 25 द्वारा इस भूमि पर ऋण दिये जाने व प्रतिवादी स. 26 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया हैं।

16. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए 1/-रू. रिकार्ड दुरूस्ति के लिए 1/-रू. एवं खाता विभाजन के लिए 1/-रू. कोर्ट फीस नियत हैं अर्थात् दावा कुल 3/-रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामें पेश हैं।

17. यह कि वाद वर्णित भूमि का अपडेटेड रिकार्ड पेश किया गया हैं एवं वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र वादी का पेश हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :-

(क) कि वाके ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न.28, 29, 33 किता 3 रकबा 3.25 हैं. तथा ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न. 30, 31, 32 किता 3 रकबा 3.90 हैं. तथा ग्राम भवानीपुरा स्थित भूमि ख.न. 123/1 रकबा 2.02 हैं. तथा ख.न 114 , 120, 121, 122 किता 4 रकबा 3.68 हैं. कुल किता 11 कुल रकबा 12.85 हैं. में वादी का 3.67 हैं. तथा प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 0.63 हैं. दरहिस्सा 1/3 घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि किता 11 रकबा 12.85 हैं. में प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1/3 तथा प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाने कि कृपा करें।

(ख) कि वाके ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न. 714 , 715, 716, 717 किता 4 रकबा 10.31 हैं. के 6.88 हैं. हिस्सा रकबा के 1/4 हिस्सा तथा वाके ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न.28, 29, 33 किता 3 रकबा 3.25 हैं. तथा ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न. 30, 31, 32 किता 3 रकबा 3.90 हैं. तथा ग्राम भवानीपुरा स्थित भूमि ख.न. 123/1 रकबा 2.02 हैं. तथा ख.न 114 , 120, 121, 122 किता 4 रकबा 3.68 हैं. कुल किता 11 कुल रकबा 12.85 हैं. में प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 के 1/3 हिस्सा का खाता अलग से विभाजित किया जाने कि कृपा करें तथा मौके पर जो भूमि पक्षकारान के कब्जे में हैं वही इनको विभाजन के दिये जाने कि कृपा करे।

(ग) कि वाके ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न. 714 , 715, 716, 717 किता 4 रकबा 10.31 हैं. के 6.88 हैं. रकबा के 1/4 हिस्सा तथा वाके ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न.28, 29, 33 किता 3 रकबा 3.25 हैं. तथा ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न. 30, 31, 32 किता 3 रकबा 3.90 हैं. तथा ग्राम भवानीपुरा स्थित भूमि ख.न. 123/1 रकबा 2.02 हैं. तथा ख.न 114 , 120, 121, 122 किता 4 रकबा 3.68 हैं. कुल किता 11 कुल रकबा 12.85 हैं. में प्रतिवादी ... के 1/3 हिस्सा का खाता अलग से विभाजित किया जाने कि कृपा करें तथा मौके पर जो भूमि पक्षकारान के कब्जे में हैं वही इनको विभाजन के दिये जाने कि कृपा करें।

(घ) वाके ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न.28, 29, 33 किता 3 रकबा 3.25 हैं. तथा ग्राम बड़बर स्थित भूमि ख.न. 30, 31, 32 किता 3 रकबा 3.90 हैं. तथा ग्राम भवानीपुरा स्थित भूमि ख.न. 123/1 रकबा 2.02 हैं. तथा ख.न 114 , 120, 121, 122 किता 4 रकबा 3.68 हैं. कुल किता 11 कुल रकबा 12.85

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी हुरड़ा
जिला झुन्झुनू (राज.)

हैं. में वादी के 3.67 हैं. तथा प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 के 0.62 हैं.रकबा का खाता अलग से विभाजित किया जाकर लगान कायम किये जाने कि कृपा करें।

(ड) कि दावा वादी विरूद प्रतिवादीगण डिकी कर अन्य कोई अनुतोष सहवन से अयाचित रह गया हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जाने कि कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई प्रतिवादी स. 1 व 2 की ओर से श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया जवाब के बार – बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नही किया जिस कारण प्रतिवादी स. 1 व 2 का जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी स. 18 लगायत 30 की ओर से श्री राजेन्द्र यादव अधिवक्ता उपस्थित आये बाद मे गैर हाजिर होने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि वे वाद पत्र के अनुतोष " बी "सी" " डी" के बाबत कोई अनुतोष नही चाहते है। जिस पर वादीगण को सुना जाकर अनुतोष " बी "सी" " डी" के वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू 1 औमप्रकाश , पी.डब्लू 2 राजेन्द्र शर्मा की मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र पेश हुए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी प्रदर्श 1 लगायत 4 , नक्शा प्रदर्श 5 जमाबन्दी प्रदर्श 6 व 7 नक्शा प्रदर्श 8 जमाबन्दी प्रदर्श 9 व मिसल बन्दोबस्त प्रदर्श 10 जमाबन्दी प्रदर्श 11 लगायत 13 तथा नक्शा प्रदर्श 14 नामान्तकरण प्रदर्श 15 , 16 विभागीय मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 17 जमाबन्दी प्रदर्श 18 मिसल बन्दोस्त प्रदर्श 19 बन्दोबस्त का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 20 इन्तकाल प्रदर्श 21 जमाबन्दी संवत् 2024 – 27 प्रदर्श 22 , जमाबन्दी प्रदर्श सवंत् 2028 से 31 प्रदर्श 23 विकय पत्र प्रदर्श 24 संभागीय आयुक्त का निर्णय प्रदर्श 25 तहसीलदार का निर्णय प्रदर्श 26 उपखण्ड अधिकारी के दावे की आदेशिका प्रदर्श 27 राजीनामा प्रदर्श 28 एवं राजीनामा दिनांक 21.11.1999 प्रदर्श 29 पेश किये तथा सेग्रीगेशन के बाद हाल जमाबन्दीथा प्रस्तुत की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया वादीगण के दावे का किसी भी प्रतिवादीगण ने विरोध नही किया है । विकय पत्र प्रदर्श 24 के अनुसार भूमि गत खसरा न. 26 मे से 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदार जुगलाल पुत्र नाथाराम द्वारा रामजीलाल पुत्र नाथाराम (वादीगण 1/1 लगायत 1/10 के हकपूर्वाधिकारी) को जरिए पंजिकृत विकय पत्र के दिनांक 04.05.1977 को पंजिकृत विकय पत्र के द्वारा बेचान कर कब्जा दिया गया हैं। उसके बाद उक्त विकय पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा इस भूमि का नामान्तरकरण आदेश प्रदर्श 26 के अनुसार दर्ज करने का आदेश दिया गया जिसकी अपील माननीय संभागीय आयुक्त के यहां प्रस्तुत होने पर निर्णय प्रदर्श 25 पारित किया गया जिसमें वादी सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर अधिकार प्राप्त करने के निर्देश के साथ अपील का निर्णय किया गया हैं। जिसके पश्चात वादी रामु उर्फ रामजीलाल ने उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के यहां नियमित वाद पेश किया जिसमे राजीनामा प्रदर्श 28 प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 21.11.1999 के राजीनामा प्रदर्श 29 का उल्लेख करते हुए मुताबिक राजीनामा पक्षकारान में भूमि में हक व हिस्से होना स्वीकार किया हैं जमाबन्दी प्रदर्श 22 व 23 के अनुसार भूमि गत खसरा न. 19 व 26 किता 2 रकबा 50 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार रामेश्वर , जुगाराम , श्रीराम पुत्रान नाथाराम [illegible] निवासी ढाणी लक्ष्मण खातेदार थें। तथा नामान्तरकरण स 694 प्रद[illegible] अपने – अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाया हैं। उक्त नामान्तर[illegible]लदार द्वा[illegible]दीक किया गया हैं जिसमें खसरा न. 26 मे से 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि [illegible] हैं। एवं जुगलाल द्वारा उक्त 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान वादी [illegible] विकय पत्र दिनांक 04.05.1977 को किया जाना साबित हैं। उसके बाद बन्दोबस्त हुआ तो इस भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 114, 120, 121, 122, 156, 157, 158,159, 160, 1529/202/7 किता 10 रकबा 10.83 हैक्टर एवं खसरा न. 126/1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

रकबा 2.02 हैक्टर कायम किया जाना मुताबिक जमाबन्दी प्रदर्श 18 से साबित हैं। उसके बाद इस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण स. 105 प्रदर्श 16 रामजीलाल पुत्र नाथाराम के नाम विक्रय पत्र प्रदर्श 24 के आधार पर दर्ज किया गया हैं तथा नामान्तरकरण स. 153 जरिए प्रदर्श 15 के नायब तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया हैं तथा जमाबन्दी प्रदर्श 11 व 12 के अनुसार रामजीलाल उक्त भूमि का खातेदार दर्ज हुआ हैं उसके बाद नामान्तरकरण स. 153 निरस्त किये जाने के पश्चात यह भूमि वापिस पूर्व की भांति दर्ज करने की बजाय इस भूमि में से वादीगण के विक्रेता जुगाराम का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था वह दर्ज नही किया गया । प्रतिवादी स. 1 व 2 के नाम 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया एवं केवल भूमि खसरा न. 130/1 मे जुगाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया। इस प्रकार बिना किसी कारण के जुगाराम का नाम इस भूमि की खातेदारी से हजफ कर दिया गया। जब विक्रेता जुगाराम के स्थान पर क्रेता रामु उर्फ रामजीलाल का नाम हटा दिया गया था तो वापिस उसके विक्रेता जुगाराम का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन जुगाराम का नाम भी हटा दिया उसके बाद ग्राम बड़बर से राजस्व ग्राम भवानीपुरा अलग बनाया गया तो भूमि खसरा न. 123/1 एवं खसरा न. 114, 120, 121, 122 ग्राम भवानीपुरा की राजस्व सीमा चली गई एवं शेष भूमि ग्राम बड़बर की राजस्व सीमा में रही। इसके पश्चात ग्राम बड़बर स्थित भूमि के खसरा न. 28, 29, 33 किता 3 रकबा 3.25 हैक्टर तथा ग्राम बड़बर स्थित भूमि खसरा न. 30, 31, 32 किता 3 रकबा 3.90 हैक्टर कायम किये गये।

इस प्रकार भूमि गत खसरा न. 19 व 26 के वर्तमान खसरा न. 114, 120, 121, 122 किता 4 रकबा 3.68 हैक्टर ग्राम भवानीपुरा खसरा न. 123 किता 1 रकबा 2.02 हैक्टर ग्राम भवानीपुरा एवं खसरा न. 28, 29, 33 किता 3 रकबा 3.25 हैक्टर ग्राम बड़बर तथा खसरा न. 30, 31, 32 किता 3 रकबा 3.90 हैक्टर ग्राम बड़बर कायम किये गये इस प्रकार इस सम्पूर्ण भूमि के वर्तमान किता 11 रकबा 12.85 हैक्टर कायम किये गये। इस सम्पूर्ण भूमि में जुगाराम का 1/3 हिस्सा था। जिसके हिस्से मे 50 बीघा 15 बिस्वा में 1/3 हिस्सा आता था। जिसमें से उसने 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान जरिए पंजिकृत विक्रय पत्र कर दिया था। जुगाराम के 1/3 हिस्से मे 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि आती थी जिसमे से 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि बेचान करने के पश्चात 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि उसकी शेष रही हैं जिसको हैक्टर में परिवर्तित करने पर उसके हिस्से में 4.29 हैक्टर रकबा आता हैं। अर्थात् वादीगण एवं प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 के हिस्से में कुल भूमि में 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी स. 1 व 2 के हिस्से में 1/3 प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 के हिस्से में 1/3 हिस्सा आता हैं इसलिए वादीगण प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 के 1/3 हिस्से में से 3.67 हैक्टर रकबा के तथा प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 अपने 0.62 हैक्टर रकबा के खातेदार घोषित किये जाने योग्य हैं। तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 को 1/3 हिस्से के एवं प्रतिवादी स. 3 को 1/12 प्रतिवादी स. 4 1/12 प्रतिवादी स. 5/1 लगायत 5/4 को 1/12 एंव प्रतिवादी स. 6 को 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने योग्य हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकंन किये जाने योग्य हैं। चुकि वर्तमान में सेग्रीगेशन की कार्यवाही हो चुकी हैं इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का हिस्सा भी उनके रकबा की अपेक्षा हिस्से के अनुसार दर्ज किये जाने योग्य हैं। इस प्रकार वादीगण दावा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं साक्ष्य से डिक्री योग्य हैं। अतः न्यायालय वाद वादीगण [illegible] डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:39 IST
Reason: SelfAttested

—आदेश:—

न्यायालय वाद वादीगण [illegible] डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भवानीपुरा स्थित भूमि खसरा न. 114, ख.न. 120, ख.न. 121, ख.न. 122 किता 4 रकबा 3.68 हैक्टर में

उपखण्ड अधिकारी ... जिला झुन्झुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी गुढ़ा
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादीगण 1/1 लगायत 1/10 का 51/184 तथा प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 31/552 हिस्सा घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1/3 प्रतिवादी स. 3 का 1/12 प्रतिवादी स. 4 का 1/12 प्रतिवादी स. 5/1 लगायत 5/4 का 1/12 प्रतिवादी स. 6 का 1/12 हिस्सा दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता हैं । तथा भवानीपुरा स्थित भूमि खसरा न. 123 रकबा 2.02 हैक्टर में वादी स. 1/1 लगायत 1/10 का 139/606 तथा प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 21/202 हिस्सा घोषित किया जाता हैं। तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1/3 , प्रतिवादी स. 3 का 1/12 प्रतिवादी स. 4 का 1/12 प्रतिवादी स. 5/1 लगायत 5/4 का 1/12 प्रतिवादी स. 6 का 1/12 हिस्सा दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तथा ग्राम बड़बर स्थित भूमि खसरा न. 30, 31, 32 किता 3 रकबा 3.90 हैक्टर में प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 के हकपूर्वाधिकारी जुगाराम का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी स. 1 /1 लगायत 1/10 का 109/390 एवं प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 21/390 हिस्सा घोषित किया जाता हैं। तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1/3 प्रतिवादी स. 3 का 1/12 प्रतिवादी स. 4 का 1/12 प्रतिवादी स. 5/1 लगायत 5/4 का 1/12 प्रतिवादी स. 6 का 1/12 हिस्सा दर्ज कर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। ग्राम बड़बर स्थित भूमि खसरा न. 28, ख.न. 29, ख.न. 33 किता 3 रकबा 3.25 हैक्टर में वादीगण 1/1 लगायत 1/10 का 87/325 तथा प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 64/975 हिस्सा घोषित किया जाता हैं एवं प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1/3 प्रतिवादी स. 3 का 1/12 प्रतिवादी स. 4 का 1/12 प्रतिवादी स. 5/1 लगायत 5/4 का 1/12 प्रतिवादी स. 6 का 1/12 हिस्सा दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हक में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 21/10/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले न्यायालय मे सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:39 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र स.309/2015
रामजीलाल बनाम पूर्ण आदि
निर्णय दिनांक 21/10/22

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व वाद स. 309/2015 जीसीएमएस नं.– 2015/00292

रामजीलाल आदि बनाम पूर्ण आदि
दावा – घोषणात्मक , रिकार्ड दुरूस्ति ,एवं खाता विभाजन

वादीगण की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी सं. 1, लगायत 2 की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थित एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21/10/22 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिक्री दी जाती हैं कि–

''न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भवानीपुरा स्थित भूमि खसरा न. 114, ख.न. 120, ख.न. 121, ख.न. 122 किता 4 रकबा 3.68 हैक्टर में वादीगण 1/1 लगायत 1/10 का 51/184 तथा प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 31/552 हिस्सा घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1/3 प्रतिवादी स. 3 का 1/12 प्रतिवादी स. 4 का 1/12 प्रतिवादी स. 5/1 लगायत 5/4 का 1/12 प्रतिवादी स. 6 का 1/12 हिस्सा दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता हैं । तथा भवानीपुरा स्थित भूमि खसरा न. 123 रकबा 2.02 हैक्टर में वादी स. 1/1 लगायत 1/10 का 139/606 तथा प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 21/202 हिस्सा घोषित किया जाता हैं। तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1/3 , प्रतिवादी स. 3 का 1/12 प्रतिवादी स. 4 का 1/12 प्रतिवादी स. 5/1 लगायत 5/4 का 1/12 प्रतिवादी स. 6 का 1/12 हिस्सा दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तथा ग्राम बड़बर स्थित भूमि खसरा न. 30, 31, 32 किता 3 रकबा 3.90 हैक्टर में प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 के हकपूर्वाधिकारी जुगाराम का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी स. 1 /1 लगायत 1/10 का 109/390 एवं प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 21/390 हिस्सा घोषित किया जाता हैं। तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1/3 प्रतिवादी स. 3 का 1/12 प्रतिवादी स. 4 का 1/12 प्रतिवादी स. 5/1 लगायत 5/4 का 1/12 प्रतिवादी स. 6 का 1/12 हिस्सा दर्ज कर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। ग्राम बड़बर स्थित भूमि खसरा न. 28, ख.न. 29, ख.न. 33 किता 3 रकबा 3.25 हैक्टर में वादीगण 1/1 लगायत 1/10 का 87/325 तथा प्रतिवादी स. 7 लगायत 17 का 64/975 हिस्सा घोषित किया जाता हैं एवं प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1/3 प्रतिवादी स. 3 का 1/12 प्रतिवादी स. 4 का 1/12 प्रतिवादी स. 5/1 लगायत 5/4 का 1/12 प्रतिवादी स. 6 का 1/12 हिस्सा दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हक में दर्ज किया जावे। ''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 21/10/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
(उपखण्ड अधिकारी) एवं
पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)